

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 176/11

संस्थापन दिनांक:-27/06/11

फाईलिंग नं. 233504000432011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

दिलीप पिता शेषराव खादीकर
 उम्र 35 वर्ष, निवासी खापाखतेड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 28.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 287, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.04.2011 के शाम 04:00 बजे या उसके लगभग ओमकार महार का खेत खापाखतेड़ा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत अपने आधिपत्य की थ्रेसर मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर मानव जीवन संकटापन्न कर प्रार्थी मानिकराव को क्षति कारित की तथा उक्त मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर प्रार्थी मानिकराव को घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 13.04.2011 को अभियुक्त की थ्रेसर पर काम करने गया था। तभी गेहूं की थ्रेसर से दावन करते समय मशीन से उसका बाया हाथ का पंजा अलग होकर मशीन में चला गया। फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी सूचना को थाना आमला के रोजनामचा सान्हा क. 490 पर दर्ज कर जांच की गयी। जांच उपरांत थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 174/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक ट्रैक्टर मुंडा क. एमपी-48-ए-2367, एक थ्रेसर एवं ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की थ्रेसर मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर मानव जीवन संकटापन्न कर प्रार्थी मानिकराव को क्षति कारित की ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त थ्रेसर मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर प्रार्थी मानिकराव को घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

5 उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण साक्ष्य के दोहराव से बचने हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 मानिकराव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि वह गेहूं थ्रेसर में थ्रेसिंग का काम कर रहा था। थ्रेसर मशीन में उसका बांया हाथ फंस गया और कलाई से हाथ कट गया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा घटना के संबंध में लिखित आवेदन पुलिस थाना आमला में दिया गया था। विनोद खातरकर (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि वह मानिकराव खातरकर के साथ थ्रेसर में ठेमे लगा रहा था। मानिकराव की आवाज आने पर उसने देखा कि मानिकराव के बांया हाथ का पंजा पूरा कट चुका है। पूनाजी (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके छोटे लड़के वासुदेव ने यह बताया था कि मानिकराव का थ्रेसर में हाथ चला गया है। फिर जब वह अस्पताल गया तो देखा कि उसके बेटे मानिकराव के बांये हाथ में चोट आयी थी।

7 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 13.04.2011 को सीएचसी आमला में पदस्थ रहते हुए आहत मानिकराव का चिकित्सकीय परीक्षण किया था जिमें आहत का बांया हाथ

कलाई से पूरी तरह अलग था एवं कलाई के सभी स्केचर कटे एवं कुचले हुए थे। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित भी किया है।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक 13.04.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने आहत मानिकराव का एक्सरे परीक्षण किया था। आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 2672 में आहत का बाया हाथ मेटाकार्पल भाग से कटा हुआ था। साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-7) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-3), साक्षी मानिकराव (अ.सा.-1), विनोद खातरकर (अ.सा.-2) एवं पूनाजी (अ.सा.-4) के कथनों से आहत मानिकराव को थ्रेसर से हाथ में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 साक्षी कुवरसिंह ठाकुर (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक 14.06.2011 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्ष के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे अपराध क्र. 174/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 23.06.2011 को अभियुक्त दिलीप से एक ट्रेक्टर मुंडा क्र. एमपी-48-ए-2367, एक थ्रेसर मशीन, मय ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन के जप्त कर (प्रदर्श प्री-8) का जप्ती पत्रक तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-9) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। साक्षी ने उक्त सभी दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से लेख करायी गयी है जो अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन का मामला स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सावन्या (अ.सा.-6) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। पूनाजी (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि उसे घटना की जानकारी उसके छोटे बेटे वासुदेव ने दी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि घटना कैसे घटित हुई थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है।

12 मानिकराव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को ओमकार के खेत में गेहूं की थ्रेसर में थ्रेसिंग का काम 150/- रुपये की मजदूरी पर करने के लिए गया था। थ्रेसर की मशीन अभियुक्त दिलीप की थी। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि जब वह मशीन में गेहूं डाल रहा था तब अभियुक्त दिलीप ने कहा कि मशीन थोड़ा स्पीड कर दो और फिर अभियुक्त दिलीप ने ही मशीन को थोड़ा तेज कर दिया था जिस कारण उसका बांया हाथ मशीन में फंस गया था और कलाई से कट गया था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर मशीन की स्पीड बढ़ाने के कारण उसका हाथ कट गया था, यदि अभियुक्त दिलीप स्पीड नहीं बढ़ाता तो वह सावधानी से काम करता। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसका ईलाज आमला अस्पताल, उसके बाद बैतूल में हुआ तथा उसने घटना के संबंध में लिखित आवेदन थाना आमला में दिया था।

13 विनोद खातरकर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को अभियुक्त दिलीप की थ्रेसर में काम करने के लिए गया था। फरियादी मानिकराव और राजा थ्रेसर में ठेमे लगा रहे थे और वह गेहूं के ठेमे दे रहा था। तभी फरियादी मानिकराव के चिल्लाने की आवाज आयी वह उपर से कूदा तो उसने देखा कि मानिकराव का बांये हाथ का पंजा पूरा कट चुका है, फिर वहां पर उपस्थित उन सभी लोगों ने मानिकराव को अस्पताल ईलाज के लिए ले गये थे। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि थ्रेसर अभियुक्त दिलीप की थी परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त दिलीप की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई थी।

14 मानिकराव (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में यह बताया है कि लिखित आवेदन उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया था परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने आवेदन पर हस्ताक्षर बिना पढ़े कर दिया था। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसने लिखित आवेदन में यह बात नहीं लिखाई थी कि अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर मशीन को तेज चलाया गया था जिससे उसका हाथ कट गया था। पैरा क्र. 05 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि गेहूं का ठेमा लगाते समय एकदम से उसका हाथ थ्रेसर में चला गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त दिलीप थ्रेसर चालू करके सामने बैठ गया था। इसी पैरा में आगे साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त थ्रेसर को चालू करके स्पीड बढ़ा दिया था और सामने बैठ गया था तब उसका हाथ कट गया था।

15 लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदन में लेख तिथि में काटछांट कर दिनांक 06.06.2011 लेख की गयी है। उपर्युक्त आवेदन में यह लेख है कि दिनांक 13.04.2011 को फरियादी मानिकराव थ्रेसर पर काम करने के लिए अभियुक्त दिलीप से थ्रेसर किराये पर ले गया था और गेहूं की थ्रेसर से दावन करते समय मशीन से बांये हाथ का पंजा अलग होकर मशीन में चला गया था। इसके बाद उसे वहां पर उपस्थित लोगों ने तथा थ्रेसर के मालिक दिलीप ने ईलाज के लिए अस्पताल ले गये थे। उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि आवेदक मानिकराव के द्वारा अभियुक्त दिलीप के विरुद्ध उचित जांच करने का निवेदन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसमें यह लेख है कि दिनांक 13.04.2011 को सीएचसी आमला से तहरीर प्राप्त हुई और आवेदक के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी।

16 फरियादी मानिकराव के जांच कथन जो कि दिनांक 13.04.2011 को लिये गये थे उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि फरियादी के द्वारा थ्रेसर किराये से लाकर उसमें गेहूं की फसल लगाकर निकाल रहा था तभी ठेमा लगाते समय थ्रेसर में एकदम से उसका बांया हाथ चला गया जिससे उसका हाथ कट गया। वहां उपस्थित लोगों उसे ईलाज के लिए अस्पताल ले गये। घटना दिनांक 13.04.2011 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 13.06.2011 को इस आशय की तहरीर प्राप्त हुई कि फरियादी मानिकराव के हाथ में चोट है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत फरियादी मानिकराव के जांच के दौरान घटना के तत्काल पश्चात कथन लेख किये गये जिसमें फरियादी ने अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर मशीन को चलाये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये गये हैं।

17 लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि आवेदन में यह लेख किया गया है कि फरियादी मानिकराव को ईलाज के लिए वहां उपस्थित लोग अस्पताल लेकर आये और वह आज दिनांक तक अस्पताल में भरती है और ईलाज चल रहा है जिससे यह प्रकट हो रहा है कि आवेदन फरियादी के द्वारा अस्पताल में दिया गया था। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कारण फरियादी द्वारा ईलाज कराकर थाने आना लेख है। लिखित आवेदन के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उसमें पहले दिनांक 27.04.2011 लेख थी जिसे काटकर दिनांक 06.06.2011 लेख किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती है, क्योंकि लिखित आवेदन में अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर को चलाये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं है और न ही घटना के तत्काल पश्चात फरियादी के जो जांच कथन लिये गये हैं उसमें भी अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर मशीन चलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

18 किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी विनोद खातरकर (अ.सा.-2) जो कि घटना के समय मौके पर था उसने भी अभियुक्त दिलीप के द्वारा थ्रेसर चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। फरियादी विनोद खातरकर ने अपने पुलिस कथनों से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। यद्यपि उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि थ्रेसर अभियुक्त दिलीप की थी परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त दिलीप ने उपेक्षा या उतावलेपन से थ्रेसर की स्पीड एकदम से बढ़ा दी थी जिससे फरियादी/आहत मानिकराव को घोर उपहति कारित हुई।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की थ्रेसर मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर मानव जीवन संकटापन्न कर प्रार्थी मानिकराव को क्षति कारित की तथा उक्त मशीन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलवाकर प्रार्थी मानिकराव को घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त दिलीप को भारतीय दंड संहिता की धारा 287, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20 प्रकरण में जप्तशुदा एक ट्रेक्टर मुंडा क. एमपी-48-ए-2367, एक थ्रेसर एवं ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन दिलीप पिता शेषराव निवासी खापाखतेड़ा थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

21 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)